

## राजस्थान सरकार

### सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

एफ 13 (3) ( )ब.घो.17-18/सहा.राशि/सान्याअवि/17/ 3556

जयपुर, दिनांक: 16-01-2018

### आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2017-18 में की गई बजट घोषणा संख्या 155 की क्रियान्वित हेतु विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के मूल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित All India Services (IAS, IPS, IFS) में, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में अन्तिम रूप चयन होने तथा योजना में सूचीबद्ध IIT, IIM, AIIMS, NLU एवं IISc में प्रवेश पाने वाले मेधावी अभ्यार्थियों को एक मुश्त सहायता राशि दिए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र वैबसाईट sso.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये जा रहे हैं। उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10 जनवरी 2018 निर्धारित थी, जिसको बढ़ाया जाकर दिनांक 31 जनवरी 2018 की जाती है।

उक्त योजनान्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि दी जायेगी:-

- All India Services (IAS, IPS, IFS) में चयन होने के उपरान्त वरीयताक्रम में आने वाले राजस्थान के प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जायेगी।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आये प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी।
- प्रतिवर्ष IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 25 हजार रूपये की एक मुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायें।  
योजना की पात्रता/दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

(महावीर सिंह)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

एफ 13 (3) ( )ब.घो.17-18/सहा.राशि/सान्याअवि/17/ 3557 - 59

जयपुर, दिनांक: 16-1-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी संचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान ज जयपुर।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैससाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की बढ़ाई गई अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई है का प्रेस नोट समाचार पत्रों में प्रेस जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति))